

राजस्थान सरकार

## न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 08/2024

सायल  
राजस्थान सरकार जरिये  
हल्का पटवारी बांटा

बनाम

गैर सायल  
रावताराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट  
निवासी बांटा  
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 30.09.2024

निर्णय:-

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का बांटा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गादेश्वरी राजकीय भूमि ख.न. 221 रकबा 1. 4002 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता(राजकीय भूमि) में से 0.1878 हैक्टेयर भूमि पर जिन्स बाजरा बोकर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 20.09.2024 को सायल हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थित। पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 30.09.2024 को जवाब हेतु समय दिया गया तदुपरान्त गैर सायल अनुपस्थित रहने से इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गैर सायल कोई जबाब प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी (गैर मुमकिन रास्ता) है। जिस पर गैर सायल द्वारा काश्त कर अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो रहा है। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.01 रुपये का राउण्ड अप 01 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत काश्त की गई फसल को कुर्क कर सरकारी तहसील में लेने तथा नियमानुसार निलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली, कुर्की की निलामी हेतु हल्का पटवारी व भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

  
(गिराज प्रसाद शर्मा)

नायब तहसीलदार गुड़ामालानी

